राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4561/2018

महावीर प्रसाद सैनी —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2018
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता शिक्षा शास्त्री (बी.एड), एमए संस्कृत व आचार्य है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.12.1992 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई और उसके पश्चात दिनांक 23.02.1996 को सीधी भर्ती द्वारा अपीलार्थी का द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पद पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.03.2015 (अनुलग्नक–ए/1) के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 25(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कुल शिक्षा) के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई और अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्कृत विषय में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति पर चयन किया गया और आदेश दिनांक 30.05.2015 (अनुलग्नक–ए/2) द्वारा पदस्थापन किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) ने अपीलार्थी को पदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेश दिनांक 13.06.2015 (अनुलग्नक–ए/3) द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने पदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्ष 2016 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालसर (चूरू) में कार्यरत था तो उसे यह जानकारी हुई कि अपीलार्थी से कई कनिष्ठ व्यक्तियों को पूर्व के वर्षों में पदोन्नति दे दी गई है और उसे पदोन्नति का लाभ विलम्ब से दिया गया है। अपीलार्थी ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उसे सर्वप्रथम वर्ष 2016 में यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.05.2013 (अनुलग्नक–ए/4) के द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जा

चुका है लेकिन उक्त आदेश की जानकारी के अभाव में अपीलार्थी पदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर सका। उक्त आदेश को कभी भी अपीलार्थी को किसी भी माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया गया। अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 में वर्तमान पदस्थापन स्थान वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय गादली डोडी, झुन्झुनूं दर्शाया गया और उसकी पदोन्नति पश्चात परसरामपुरा, झुन्झुनूं पदस्थापन होना दर्शाया जबकि अपीलार्थी कभी भी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में माध्यमिक विद्यालय गादली डोडी, झुन्झुनूं में कार्यरत ही नहीं रहा फिर भी अनुचित रूप से उसे वहां दर्शाया गया और संभवतः उक्त पदोन्नति आदेश उक्त विद्यालय में भिजवाये गये होंगे लेकिन उक्त आदेश की कभी भी अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई। उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलार्थी उक्त पदोन्नति आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं कर सका और न ही पदोन्नति का लाभ ले सका। विभाग का कर्तव्य था कि पदोन्नति पश्चात पदोन्नति आदेश अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाते जिससे वह कार्यग्रहण करता। अपीलार्थी वर्ष 2001 से दिनांक 13.06.2015 तक निरन्तर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी, झुन्झुनू में कार्यरत था जिस विद्यालय से पदोन्नति दर्शायी गयी है वहां अपीलार्थी अपने सम्पूर्ण सेवा काल में कार्यरत ही नहीं रहा। अपीलार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर निदेशक महोदय को एक प्रतिवेदन दिनांक 20.10.2016 (अनुलग्नक–ए/5) को भिजवाया जिसमें निवेदन किया कि उसे चयन वर्ष 2008–09 से पदोन्नत मानते हुए लाभ दिये जाये। अपीलार्थी को विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के पदोन्नति के लाभ से वंचित किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को व्याख्याता (संस्कृत) पद पर आदेश दिनांक 29.05.2013 से वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के आदेश दिनांक 29.05.2013 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को भेजकर लेख है कि आप अपने मण्डल से संबंधित पदोन्नत कार्मिको के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की समेकित सूचना निदेशालय को भिजवायेंगे। जिन कार्मिकों के पदस्थापन स्थान में आपके कार्यालय पदस्थापन दर्शाया गया है, उन कार्मिकों के वर्तमान पदस्थापन स्थान की जानकारी प्राप्त कर उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करेगे। सात दिवस में ऐसे कार्मिको की सूचना प्राप्त नही होने पर उनकी पदोन्नति परित्याग मान लिया जायेगा। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय में संबंधित कार्यालय से समन्वय स्थापित कर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवाई गई। इसलिए अपीलार्थी इतने लम्बे समय पश्चात् अब उक्त

पदोन्नति पर किसी प्रकार का दावा करने का अधिकारी नही है। अपीलार्थी स्वयं अपने अधिकारो के प्रति जागृत नही रहा। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.05.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (संस्कृत) शिक्षा के पद पर पदोन्नत किया किया परन्तु उसकी सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने का कोई प्रमाण/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है कि उक्त आदेश अपीलार्थी को किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराया गया हो। अपीलार्थी को इस पदोन्नति आदेश में वर्तमान पदस्थापन स्थान वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक विद्यालय गादली डोडी, झुन्झुनूं दर्शाया गया और उसकी पदोन्नति पश्चात परसरामपुरा, झुन्झुनूं पदस्थापन होना दर्शाया जबकि अपीलार्थी सम्पूर्ण सेवाकाल में माध्यमिक विद्यालय गादली डोडी, झुन्झुनूं में कभी भी कार्यरत ही नहीं रहा। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन मान्य नही है कि अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किए जाने के कारण पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कभी भी प्रत्यर्थी विभाग को पदोन्नति से परित्याग के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है न ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परित्यागता के संबंध में कोई स्वीकृति/आदेश जारी किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 1970 के नियम 25 क की ओर अधिकरण का ध्यान आकृषित किया है और निवेदन किया है कि पदोन्नति छोडने हेतु लिखित आवेदन किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किए जाना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी को पदोन्नति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचित ही नहीं किया गया है। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 के नियम 25क यां प्रासंगिक है किः–

"25 के पदोन्नतियाँ छोडने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर प्रतिबन्ध– यदि कोई व्यक्ति, अगले उच्चतर पद पर अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा अपनी नियुक्ति होने पर अपने लिखित निवेदन से ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके निवेदन को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को पश्चातवती दो भर्ती वर्ष हेतु, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेन्ट, अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति

छोड़ देता है, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठत एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।"

अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश बाबत सूचित नहीं किये जाने से अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने के सबंध में प्रत्यर्थी विभाग का आधार निराधार है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा की गई है, जिसमें स्पष्ट अंकन है कि सबंधित कार्मिक को आदेश सर्व कराकर पालना से अवगत कराये। प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को पदोन्नति आदेश के संबध में सूचित किया गया हो। साथ ही पदोन्नति हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपीलार्थी को उसके पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 की सूचना ही प्राप्त नहीं हुई क्योंकि पदोन्नति आदेश में पदस्थापन स्थान ही त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः यह मानने योग्य है कि अपीलार्थी को उसकी पदोन्नति आदेश दिनांक 29.05.2013 में किसी प्रकार की सूचना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व है कि संबंधित कार्मिक को पदोन्नति आदेश के सबंध में सूचित किया जाये एवं साथ ही उसे नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे, परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पदोन्नति परित्याग का प्रश्न तो पदोन्नति संबंधी सूचना दिये जाने के पश्चात उत्पन्न होता है। एक अन्य प्रकरण महेश चन्द्र बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा (अपील संख्या 1108/2019) में समान तथ्य होने से अधिकरण ने पदोन्नति आदेश की तिथि से कार्मिक को पदोन्नति एवं अन्य परिलाभ देने हेतु आदेशित किया है। अतः ऐसी स्थिति में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर आदेश दिनांक 29.05.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा की गई पदोन्नति का लाभ दिया जावे और उसी अनुसार वरिष्ठता एवं अन्य पारिणामिक लाभ अपीलार्थी को दिया जावे। समस्त कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आगामी 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य